

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26032022-234537  
SG-DL-E-26032022-234537असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/चैत्र 4, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 576
No. 208]	DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/CHAITRA 4, 1944	[N. C. T. D. No. 576

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIव्यापार और कर विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2022

सं. Notification/AE-I/DT&T/2021-22/65.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 2(91), धारा 5(1) और धारा 5(3) के साथ पठित धारा 167 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अंकुर गर्ग, आयुक्त, राज्य कर एतद द्वारा दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 73 और धारा 74 के तहत नीचे दी गई तालिका के संगत कॉलम (3) में निर्दिष्ट करदाताओं के संबंध में कॉलम (2) में निर्दिष्ट उचित अधिकारी (अधिकारियों) को शक्तियां करता हूँ, अर्थात् :-

क्रमांक. (1)	उचित अधिकारी का नाम (2)	करदाता और जीएसटीआईएन का नाम (3)
1	श्री कृष्ण कांत, माल और सेवा कर अधिकारी	मेसर्स आर. जे. ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स (GSTIN: 07AAFPJ6303C1Z9)

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से 120 दिनों तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

इसके अलावा, उपर्युक्त समय अवधि के दौरान, क्षेत्राधिकारी उचित अधिकारी कॉलम (3) में निर्दिष्ट करदाता(ओं) के संबंध में उपर्युक्त धाराओं के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

अंकुर गर्ग, आयुक्त, राज्य कर

**DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th March, 2022

**No. Notification/AE-I/DT&T/2021-22/65.**—In exercise of the powers conferred upon me under section 167 read with section 2(91), section 5(1) and section 5(3) of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (DELHI ACT 03 OF 2017), I, Ankur Garg, Commissioner, State Tax hereby confer powers under section 69, section 70, section 71, section 73 & section 74 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (DELHI ACT 03 OF 2017) upon the Proper Officer(s) specified in column (2) with respect to the taxpayers specified in corresponding column (3) of the Table below, namely:-

S. No. (1)	Name of the Proper Officer (2)	Name of Taxpayer & GSTIN (3)
1	Sh. Krishan Kant, GSTO	M/s R J Auto Distributors (GSTIN: 07AAFPJ6303C1Z9)

This notification shall remain in force for 120 days from the date of issuance or till further orders, whichever is earlier.

Further, during the above mentioned time period, jurisdictional Proper Officer shall not exercise any power under afore mentioned sections with respect to taxpayer(s) specified in column (3).

ANKUR GARG, Commissioner, State Tax